न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, समस्तीपुर।
पी.ओ.:– सत्य प्रकाश शुक्ला
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1196 / 2026
सत्र वाद संख्या–527 / 2022
सरायरंजन थाना कांड संख्या–136 / 2022
अंतर्गत धारा–302 / 34 भारतीय दण्ड संहिता

गुड्डू राम, राम कुमार राम, मनोज कुमार राम उर्फ मनोज राम.....आवेदकगण
बनाम
स्टेट ऑफ बिहार.....विपक्षी

08.05.2026

आवेदक अभियुक्तगण गुड्डू राम, राम कुमार राम, मनोज कुमार राम उर्फ मनोज राम की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, समस्तीपुर को दी गयी है।

अभियोजन केस संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29 / 30.05.2022 को रात्रि में सूचक उमेश राम का पुत्र संतोष राम अपनी पत्नी रूबी देवी के साथ अपने रूम में रात्रि करीब 11 बजे सोने गये। रात में करीब 2 बजे बिजली कटने पर सूचक का पुत्र छत पर सोने के लिये अपनी पत्नी रूबी देवी को कहकर चला गया यह बात सूचक की पुतोह रूबी देवी ने बतायी है। दिनांक 30.05.2022 के सुबह 5 बजे सूचक के पुतोह रूबी देवी ने सूचक को उठाकर बतायी कि चलकर छत पर देखिये आपका बेटा संतोष राम को किसी ने चाकू मार दिया हैं तब सूचक छत पर जाकर देखा और ग्रामीणों को बुलाकर दिखाया तथा ग्रामीणों के सहयोग से चार चक्का गाड़ी से इलाज कराने हेतु सदर अस्पताल समस्तीपुर ले गया जहां डाक्टर ने देखकर बताया कि यह मर चुका है। सूचक अपने पुत्र संतोष कुमार के शव को लेकर वापस घर चला आया। कुछ दिन पहले गुड्डु राम, राम कुमार राम दोनों ने धमकी दिया था कि साले दोनों बाप बेटा को चाकू मार देंगे। सूचक को विश्वास है कि उक्त दोनों अभियुक्त मिलकर सूचक के बेटा संतोष राम को चाकू मारकर हत्या कर दिया।

अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक, समस्तीपुर को सुना।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण के द्वारा पूर्व में कोई जमानत आवेदन अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन खारिज नहीं किया गया है। आवेदक गुड्डु राम और राम कुमार राम प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। आवेदक मनोज कुमार राम उर्फ मनोज राम प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है। केवल आशंका के आधार पर आवेदकगण का नाम प्राथमिकी में दिया गया है। पुलिस अनुसंधान पूरा कर अभियुक्त रूबी देवी एवं रौशन कुमार के विरूद्ध अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित किया और आवेदक अभियुक्तगण को घटना में सम्मिलित नहीं पाया। आवेदक को सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है। जब आवेदकगण को सम्मन का पता चला है तो वह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किये है। घटना का कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। रूबी देवी का बयान विधिक नहीं है। रूबी देवी एवं रौशन कुमार का जमानत माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिया गया है। आवेदकगण को पुलिस द्वारा गिरफ़्तार होने की आशंका है। आवेदकगण न्यायालय की संतुष्टि पर बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार है। आवेदक के जमानत पर मुक्त होने पर उनके फरार होने तथा उनके द्वारा साक्ष्य में छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, समस्तीपुर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि आवेदक अभियुक्त पर सूचक के बेटा को चाकू मारकर हत्या करने का गंभीर आरोप है। अतः आवेदक अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह केस धारा–302 / 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दर्ज किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण पर सूचक के बेटा को चाकू से

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, समस्तीपुर।
पी.ओ.:– सत्य प्रकाश शुक्ला
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1196/2026
सत्र वाद संख्या–527/2022
सरायरंजन थाना कांड संख्य–136/2022

लगातार

08.05.2026 मारकर हत्या कर देने का आरोप है। आवेदक गुड्डु राम और राम कुमार राम प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है एवं आवेदक मनोज कुमार राम उर्फ मनोज राम प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक मनोज कुमार राम को साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर सी. आर.पी.सी की धारा 319 के तहत अभियुक्त बनाया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य में घटना में अभियुक्तों की संलिप्तता परिलक्षित होती है। आवेदकगण द्वारा चाकू मारने का धमकी घटना से पूर्व दिया गया था। केस डायरी के पैरा–2 में अंकित मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं पैरा–78 में अंकित पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी घटना का समर्थन होता है। उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुये आवेदक अभियुक्तगण की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक अभियुक्तगण का जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
समस्तीपुर